18

[redacted]

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी R-12 I-17

केदार पुत्र. सरमन प्रजापति निवासी ग्राम बिजौली का पुरा (तिवारी का पुरा) तसहील व जिला मुरैना म.प्र.

––– अनावेदक

श्री एस.पी. धाकड़ एडवोकेट द्वारा आज दि. 31.12.16 को प्रस्तुत

[illegible] 31-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

917
31-12-16

विरूद्ध

रामनेरश पुत्र वासुदेव निवासी ग्राम बिजौली का पुरा (तिवारी का पुरा) तहसील व जिला मुरैना म.प्र.

––– अनावेदक

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला मुरैना के प्र.क. 2621/16 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

[illegible]
31-12-16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

<u>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य</u> :–

1. यह कि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला मुरैना के समक्ष भूमि सर्वे क्र. 463 के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अधीन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्र.क. 2621/भू–अभि./सामा./2016 पर दर्ज किया जाकर आपत्तियां आहूत किये बिना तथा समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई। अनावेदक द्वारा सीमांकन नियमों का विधिवत पालन नहीं करते हुये आदेश दिनांक 03.12.2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण में विधिवत सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और सरहदी कृषकों को सीमांकन सम्बंधी सूचना पत्र जारी नहीं किया गया, परन्तु आवेदक को विधिवत तलब नहीं किया गया। दिनांक 03.12.2016 से सीमांकन स्थल का पंचनामा तैयार हुआ कि, मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक को विधिवत पक्षकार बनाये बिना आदेश दिनांक 03.12.2016 से सीमांकन

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-12-एक/17 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/16	यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 262/2016 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम बिजौलीपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 463 के सीमांकन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यवाही के दौरान अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पटवारी को पत्र लिखकर उक्त सर्वे नं. के सीमांकन के आदेश दिए गए। अधीक्षक भू-अभिलेख के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश दिनांक 03.12.2016 के पालन में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05.12.2016 को सीमांकन दल एवं मेड़िया कृषकों एवं थाना माता बसैया के पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित होकर जरीब डालकर विधिवत सीमांकन किया गया एवं सीमांकन करके मुड़िया गड़वाई गई एवं विधिवत पंचनामा तैयार कराया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उक्त कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित, न्यायिक	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के [illegible]
	एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे निगरानी ग्राह्य की जा सके। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	